

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद

द्वितीय से पंचम तल, ब्लॉक-5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर - 17

फोन नं: 0141-2709114

email : cmsmsa2018@gmail.com

फैक्स: 0141-2701822

क्रमांक : रास्कूशिप/जय/सामु.गति/एसएमसी/2018-19/13

दिनांक 11/4/19

अक्षय पेटिका तथा स्वैच्छिक अनुदान/जनसहयोग के उपयोग हेतु दिशा-निर्देश

1. विद्यालय विकास योजना(एसडीपी) के अनुसार प्राथमिकताओं का निर्धारण कर जो कार्य कम्पोजिट ग्रांट राशि से नहीं हो सकते हो उनको इस राशि का उपयोग करवाते हुए कार्य किया जावें।
2. वृक्षारोपण, आनन्दमयी शनिवार एवं अन्य सहशैक्षिक गतिविधियों के आयोजन में एवं पुरस्कार वितरण में इस राशि का उपयोग किया जावें।
3. स्वच्छता सम्बन्धित कार्यों के लिये।
4. प्राप्त राशि को एसएमसी/एसडीएमसी के खाते में जमा करवाना, केशबुक में (अक्षय पेटिका/स्वैच्छिक अनुदान/जनसहयोग एवं अन्य मद में) संधारित करें।


प्राथमिकता-

1. बिजली बिल, टेलीफोन, पानी का बिल जमा कराना।
2. एसएमसी/एसडीएमसी का 80 जी रजिस्ट्रेशन (सहकारिता विभाग में रजिस्ट्रेशन वे पेन कार्ड) के शुल्क के रूप में।
3. कम्प्यूटर/नेट का डोंगल/प्रिन्टर कम फोटोस्टेट के रूप में।
4. रंग रोगन/मरम्मत/फर्नीचर कय/कार्यालय के लिए फर्नीचर कय/दरी पट्टी आदि।
5. परीक्षा सामग्री व उत्तर पुस्तिकायें।
6. वृक्षारोपण हेतु पेड़ जो वनविभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये।
7. पुस्तकालय में मासिक पत्र-पत्रिकायें कय करना।
8. स्वच्छता व साफ-सफाई (झाड़ू, साबून, फिनाइल आदि)।
9. भवन और कक्षाओं की मरम्मत, रंग-रोगन व निर्माण हेतु।
10. विद्यालय में आयोजित गतिविधियों में बालकों को पुरस्कार देने हेतु।

www.rajteachers.com

11. अन्य आवश्यक कार्य जो एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा बैठक में प्रस्ताव लेकर प्राथमिकता के आधार पर किये जा सकते हैं।

नोट- उपरोक्त सभी कार्य हेतु एसएमसी/एसडीएमसी प्रस्ताव लेकर आम सहमति के आधार पर निर्णय ले तथा व्यय करने के उपरान्त आगामी बैठक में व्यय का अनुमोदन प्राप्त करे।


11/4/19
(हरमान मीणा)

अति० राज्य परियोजना निदेशक

दिनांक : 11/4/19

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/सामु.गति/2018-19/13

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. उपायुक्त (प्लान)/मॉनिटरिंग, राज. स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, राज. स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिला को देकर लेख है कि उक्त प्रशिक्षण का आयोजन फरवरी माह में किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।


www.rajteachers.com

(नसीम खान)

उपायुक्त (सामु० गतिशीलता)

कार्यालय, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, धौलपुर
क्रमांक - अजिपस/समसा/धौ/सामु० गति/एसएमसी/2018-19/06 दिनांक 1.4.2019

मुख्य अफ़सर शिक्षा अधिकारी
काड़ी, बसोड़ी, धौलपुर, राजसोड़, सैपड़ को भेजकर निवेदन है कि राज्य पेश्वर,
स्वाच्छता अभियान तथा जनसहयोग की शक्ति का उपयोग उपर्युक्तानुसार करने
हेतु विद्यालयों को पाठ्यक्रम करें।


1-4-19
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा अभियान धौलपुर